संख्या-52/2020/1021/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च 2020

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-6109/स0क0/शिक्षा-अ/3/82-2/2019-20, दिनांक-17.03.2020, पत्र संख्या-5923/स0क0/शिक्षा-अ/2/2019-20, दिनांक-04.04.2020 एवं पत्र संख्या-5921/स0क0/शिक्षा-अ/ 2/1279/2019-20, दिनांक-04.03.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त समर्पण इंस्टीट्यूट आफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साईंस, लखनऊ में बी0एस0सी0 नर्सिंग में अध्ययनरत् छात्रा सुश्री देवयानी धीमान पुत्री श्री संजय धीमान की वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रू0-80,200/- (रू0-अस्सी हजार दो सौ मात्र), राजा देवी बक्श सिंह अवधराज सिंह महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान डुमरियाडीह जनपद-गोण्डा के 10 अनुसूचित जाति छात्रों के सापेक्ष देयता अंतर शुल्क की अवशेष धनराशि रू0-3,69,000/- (रू0-तीन लाख उनहत्तर हजार मात्र) एवं संस्था फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, जनपद-रायबरेली के 11 अनुसूचित जाति छात्रों के सापेक्ष देयता अंतर शुल्क की **अवशेष धनराशि रू0-6,45,700/- (रू0-छः लाख पैतालीस हजार सात सौ मात्र)** अर्थात **कुल धनराशि रू0-10,94,900/- (रू0-दस लाख चौरान्वे हजार नौ सौ मात्र)** के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-52/2020/1021(1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।